



महायोगी गुरु गोरखनाथ  
आयुष विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

विज्ञापन संख्या

m0gu0g00A0वि0 / नियुक्ति / 2024-25 / 780

दिनांक-15.10.2024

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि-07.11.2024

आनलाइन आवेदन Submit करने की अंतिम तिथि-11.11.2024

**आवश्यक-(1)** अपूर्ण आन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**(2)** किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत भरी गयी है, जो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

**(3)** अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, फाइनल सबमिट इत्यादि) की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

**विशेष सूचना:-**(क) पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित आयुर्वेद विधा के 08 कन्सल्टेन्ट एवं 02 चिकित्साधिकारी (01 आयुर्वेद एवं 01 यूनानी) के पदों पर आवेदन किये अभ्यर्थी को पुनः आवेदन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में किये गये आवेदन/अभ्यर्थन पत्र के साथ प्रार्थना पत्र एवं विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र की प्रति विश्वविद्यालय के ई-मेल आई.डी. -[registrarmggau@gmail.com](mailto:registrarmggau@gmail.com) पर प्रेषित करें।

**(ख)** बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस में नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन Submit करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

**(ग)** आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

**आनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लिये आवश्यक सूचना**

यह विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट -[mggau.ac.in](http://mggau.ac.in) पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापित पदों पर आवेदन करने हेतु आनलाइन

आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

आन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1-विश्वविद्यालय की वेबसाइट-mggau.ac.in पर ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENT अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

- (1) USER INSTRUCTIONS
- (2) VIEW ADVERTISEMENT
- (3) APPLY

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें आनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। USER INSTRUCTIONS में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन को देखने के लिये उसके सामने VIEW ADVERTISEMENT को Click करें। ऐसा करने पर विज्ञापन के साथ आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु APPLY पर Click करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण-APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भांति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण-प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात् 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे। (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT

**MODES.** Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण-द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा Submit बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका पूरा दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**2- आवेदन शुल्क :** आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

**A-अनारक्षित (सामान्य)-परीक्षा शुल्क** ₹0 80 /- **आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क** ₹0 25 /- **योग कुल** ₹0 105 /-

B-अन्य पिछड़ा वर्ग-परीक्षा शुल्क ₹ 80/-  
आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/-  
योग कुल ₹ 105/-

C-अनुसूचित जाति-परीक्षा शुल्क ₹ 40/-  
आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/-  
योग कुल ₹ 65/-

3-अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्यनहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4-सबमिट (Submit) किये गये आवेदन में संशोधन :-आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, श्रेणी, उपश्रेणी एवं सामान्य निवास (Domicile) को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं०, जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् 'Authentication through' में तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे, यथा Registered Mobile, Registered e-mail ID तथा OTP (One Time Password) उक्त तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा जिस विकल्प हेतु चयन किया जाता है, उससे सम्बन्धित सूचना अंकित करने हेतु Option Box प्रदर्शित होगा, जिसमें वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।"

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष  
विश्वविद्यालय के लिये कन्सलटेन्ट/प्रवक्ता

### (प्रवक्ता) के कुल 08 पदों का विवरण

क्र०	विषय	पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	काय चिकित्सा	01	अनुसूचित जाति
2	कौमार्य भृत्य	01	अनारक्षित
3	पंचकर्म	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
4	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	01	अनारक्षित (महिला आरक्षण)
5	शल्य तंत्र	01	अनुसूचित जाति
6	शालाक्य तंत्र (नाक, कान व गला)	01	अनारक्षित
7	शालाक्य तंत्र (नेत्र)	01	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	स्वस्थवृत्त	01	अनारक्षित

पद का स्वरूप-राजपत्रित एवं अस्थाई, वेतन-पे मैट्रिक्स लेवल-10, शैक्षिक अर्हतायें-

(क) अनिवार्य

(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पांच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की पांच वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम-1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित/आवेदित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता।

(3) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान

(4) शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन

(ख) आयु-न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)

नोट-

(1) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी।

(2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आनलाइन आवेदन में करेंगे तथा अभिलेखों की मांग के समय सभी अंकतालिकायें, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

(3) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से अपलोड करें तथा संलग्न करके प्रेषित करेंगे।

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष  
विश्वविद्यालय के लिये चिकित्साधिकारी दो पदों का विवरण

क्र०	पद	पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	चिकित्साधिकारी (यूनानी)	01	अनुसूचित जाति
2	चिकित्साधिकारी (होम्योपैथ)	01	अनारक्षित

पद का स्वरूप-समूह ख राजपत्रित/अस्थाई, वेतन-पे मैट्रिक्स लेवल-10,

क-शैक्षिक अर्हतायें-

(1) क्रमांक 1 पर अंकित पद हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी (तिब) में पांच वर्ष की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उ०प्र० से हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण

(2) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में पांच वर्ष की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता एवं होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उ०प्र० से बी० एच०एम०एस० के रूप में रजिस्ट्रीकरण

(3) यूनानी विद्या के चिकित्साधिकारी हेतु किसी राज्य की यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः माह का व्यावसायिक अनुभव तथा किसी राज्य की होम्योपैथिक या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः माह का व्यावसायिक अनुभव।

(ख) अभिमान्नी

(1) यूनानी चिकित्साधिकारी हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी तिब में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा होम्योपैथ चिकित्साधिकारी हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथ में स्नातकोत्तर की उपाधि।

(ग) आयु-न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)

नोट-

(1) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी।

(2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आनलाइन आवेदन में करेंगे तथा अभिलेखों की मांग के समय सभी अंकतालिकायें, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

सामान्य अनुदेश

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि :

आनलाइन आवेदन सबमिट किये जाने की अन्तिम तिथि :

(1) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के

अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

(2) अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त किया जायेगा।

(3) हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

(4) आयु गणना की निश्चयक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2023 है।

(5) आवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(7) पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/आधिक होने पर विश्वविद्यालय निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं। जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्ता नुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

(8) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(9) अन्यथा उक्त अर्हता तथा पात्रता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(10) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो 'ON-LINE' आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(11) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(12) अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल-प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

12-1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र।

12-2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

12-3 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या-22/16/92-टी.सी.-III/का-2/2002 दिनांक 22.10.2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।

12-4 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 केंद्रांक-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-2 दिनांक-18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आवृत्त नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

12-5 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें। एक से

अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लागकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

नोट-शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक-26.06.2019 द्वारा शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09.01.07 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को ही अनुमन्य है, को रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 06 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.01.2019 को अधिकारातीत घोषित करने सम्बन्धी निर्णय कके अनुपालन में शासनादेश दिनांक-09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Stanard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (स्क्रीनिंग/साक्षात्कार) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Stanard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (स्क्रीनिंग/साक्षात्कार) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Stanard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(13) विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(14) किसी अनाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर

अभ्यर्थन निरस्त करने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

(15) पता परिवर्तन की सूचना विश्वविद्यालय को तत्काल भेजी जाये। विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

(16) अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर "Contact Us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

(17) अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

(18) स्नातकोत्तर का शोध प्रबन्ध जमा कर चुके स्नातकोत्तर छात्र भी आवेदन कर सकेंगे किन्तु साक्षात्कार के समय स्नातकोत्तर की डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। डिग्री प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनर्ह कर दिया जायेगा।

19-नोट-विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

परिशिष्ट-1: फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।

#### Detailed Application Form:

At the top of the page there is a 'Declaration' for the candidates.

Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

#### Notification Details

This section shows information relevant to Notification. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

#### Personnel Details

This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, E mail and contact number.

#### Other Details of Candidate

Other details of candidate show the information details about UP

Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

#### Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

#### Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

#### Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button option you can modify your details.

**[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]**

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://mggaugkp.ac.in> in CANDIDATE SEGMENT

#### CANDIDATE SEGMENT

**:- NOTIFICATIONS/ ADVTS.**

All Notification/Advertisements

**:- ONLINE FORM SUBMISSION**

1. Candidate Registration

2. Fee Deposition/Reconciliation

3. Submit Application Form

**:- APPLICATION FORM STATUS**

Update your transaction ID by Double

Verification mode View Application

Status List of Applications Having

photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

**:- EXAMINATION SEGMENT**

Print Address Slip for sending

documents to University [Only for

Direct Recruitment]

**:- DOWNLOAD SEGMENT**

Download Document of Verification

for this Examination

Download Admit Card

Download Interview Letter: After Examination

Download Interview Letter: Direct Recruitment

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet Latest Tenders

**LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:**

On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

#### Appendix-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

#### Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.

2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in \*.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.

5. If the size of the file is more than 50 Kb, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, colours etc., during the process of scanning.

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.

7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be

<p>disqualified.</p> <p><b>Sample Image &amp; Signature: -</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><b>PHOTO</b></p> <p style="text-align: center;">Width=3.5 cm</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><b>Signature</b></p> </div> <p><b>Selection Proses: -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Educational Survey</li> <li>2. API Scores</li> <li>3. Written Exam</li> <li>4. presentation &amp; Interview</li> </ol> <p style="text-align: center;">परिशिष्ट</p> <p>उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये</p> <p style="text-align: center;"><b>जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)</b></p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-2 पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित</p>	<p>जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है। स्थान ..... हस्ताक्षर ..... दिनांक ..... पूरा नाम ..... मुहर ..... पद ..... नाम ..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।</p> <p>उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-I)</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री ..... निवासी ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।</p> <p>यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की</p>	<p>अनुसूची-दो जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास बगकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान: ..... हस्ताक्षर ..... दिनांक: ..... पूरा नाम ..... मुहर: ..... पदनाम .....</p> <p>जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार</p> <p>नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सपेक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा</p> <p style="text-align: right;"><b>कुलसचिव</b></p>
---	---	--

(प्र० वीणा बी. कुशवाहा)  
प्रोफेसर/सदस्य  
पं० दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय  
गोरखपुर

(अतुल तिवारी)  
वित्त अधिकारी/सदस्य  
विश्वविद्यालय

(प्र० अनिल कुमार मिश्र)  
प्रधानाचार्य/सदस्य  
स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल  
गोरखपुर

(शिरंकार सिंह)  
कुलसचिव/अध्यक्ष  
विश्वविद्यालय